तारीख हुक्म	GCMS-2025/550 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बरिबल प्रसाद/श्यामलाल आदि	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की गई। पत्रावली वास्ते शीघ्र सुनवाई दिनांक 17/07/2025 को पेश हो।

17/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी की पहचान श्री सचिन कुमार सैनी एड0 ने की तथा प्रतिवादी सं0 2 की पहचान श्री आनन्दी लाल सैनी एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझकर उप0 पक्षकारान द्वारा सही होना बताया गया। अतः हस्बख्वाहिश पक्षकारान राजीनामा बाद शामिल मिसल किया गया। वकुलाय उभयपक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री फरमाने से सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता हैं। राजीनामा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार नीमकाथाना वादग्रस्त आराजी में लगनें वाली स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर जमा योग्य राशि राजकोष में जमा किया जाने के उपरान्त मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. बीरबल प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी ढाणी बांकली तन डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर। –वादी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र शीवदीन वगैरह –प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नं. 254 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सचिन कुमार सैनी एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री आनन्दीलाल सैनी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता हैं। राजीनामा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार नीमकाथाना वादग्रस्त आराजी में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर जमा योग्य राशि राजकोष में जमा किया जाने के उपरान्त मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।** ....बाबत...खर्चा इस मुकदमें .निज......................मुबलिग...का अदा करें। के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 17 माह 07 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बावत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested